संख्या– 5159/8–3–2011–247विविध/11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास
परिषद,लखनऊ

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉक : 14 नवम्बर,2011

विषय :– हाईटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत परिषद /विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत चयनित/लाइसेन्स प्राप्त विकासकर्ताओं द्वारा किये जा रहे विकास की समीक्षा करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत हैं कि उ0प्र0 में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय समस्याओं के समाधान की दिशा में हाईटेक टाउनशिप/ इण्टीग्रेटेड टाउनशिप की नीति निर्धारित की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न विकासकर्ता कम्पनियों को टाउनशिप के समयबद्ध विकास हेतु चयनित/लाइसेन्स प्रदान किया गया है। सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा की जा रही विकास की समयबद्ध रूप से समीक्षा न होने के कारण टाउनशिप के विकास की दिशा में गति नहीं आ पा रही है, जबकि नीति के अनुसार सम्बन्धित विकासकर्ता द्वारा टाउनशिप का समयबद्ध रूप से विकास सुनिश्चित किया जाना है।

2– अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाईटेक/ इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत चयनित/लाइसेन्स प्राप्त विक़ासकर्ताओं के द्वारा टाउनशिप के विकास हेतु अनुश्रवण की दिशा में इस प्रक्रण को एजेण्डा के रूप में बोर्ड बैठकों में सम्मिलित कर नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें, जिससे टाउनशिप का विकास समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सके और जनता को आवासीय समस्या का समाधान ससमय सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के समक्ष डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट के सापेक्ष Mile Stones की प्राप्ति,ई.डब्ल्यू.एस./एल. आई.जी. के निर्माण,ग्रामीण आबादियों के विकास की प्रगति तथा विकासकर्ताओं के लम्बित आवेदनों पर Status को अवश्य प्रस्तुत किया जाय।

कृपया कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या–5159(1)/8–3–11–247विविध/11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अपर निदेशक नियोजन/निदेशक आवास बन्धु, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वेवसाइट पर अपलोड कराते हुए सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।